राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ 4( ) पराव/पीसी/निरायो/बजट/2014-15/ 1687 जयपुर, दिनांक : 18.11.14

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या – 40 /2014-15)

पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओ हेतु) योजना की वर्ष 2014-15 की प्रथम किश्त की राशि रूपये 317,72,28,000/- (अक्षरे राशि रू. तीन अरब सत्रह करोड़ बहत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र) ग्राम पंचायतो को बैंकिंग चैनल (ऑफ लाईन) के माध्यम से हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग विभागीय पत्र क्रमांक 857 दिनांक 9.9.2011 द्वारा जारी योजना के दिशा-निर्देशानुसार तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की रिपोर्ट सितम्बर, 2013 वर्ष 2010-15 की सिफारिशानुसार ही किया जावेगा। राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानो तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति हेतु प्रावधित राशि एवं महिलाओं एवं बालिकाओं पर व्यय हेतु जेण्डर बजट हेतु प्रावधित 48 प्रतिशत राशि का व्यय इन वर्गो के कल्याणांर्थ किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

बजट मद : 2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		198 -ग्राम पंचायतों को सहायता	
मांग सं. 41 (22) – पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	मांग सं. 30 (23) – पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	मांग सं. 51 (24) – पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थअनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	योग (राशि लाखों में)
19119.44	5348.96	7303.88	31772.28
अक्षरे राशि रू. एक अरब इकरानवे करोड उन्नीस लाख चवालीस हजार मात्र	अक्षरे राशि रू. तरेप्पन करोड अडतालीस लाख छियानवे हजार मात्र	अक्षरे राशि रू. तैहत्तर करोड तीन लाख अट्ठसी हजार मात्र	अक्षरे राशि रू. तीन अरब सत्रह करोड बहत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र
कुल योग			31772.28

(अक्षरे राशि रू. तीन अरब सत्रह करोड़ बहत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 271400294 दिनांक 16.09.2014 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग ।
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
7. स्टेट लीड बैंक आफीसर, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणी अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के बैक खातों में उक्तानुसार राशि अन्तरित अविलम्ब हो जाये, इसकी सुनिश्चितता हेतु समन्वय करने का श्रम करावें।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिलों के अनुसार चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
9. ....बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें, तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करे।
10. चीफ मैनेजर /ब्रान्च मैनेजर .... बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार कराकर अविलम्ब संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित कराने की व्यवस्था करावें।
11. समस्त चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावें । गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे। यदि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में किया जाना सम्भव नही हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब " सरपंच ग्राम पंचायत............................(प.स...................... जि.प. ....) के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक बनाया जाकर संबंधित पंचायत समिति कार्यालय या संबंधित जिला परिषद कार्यालय या इस विभाग को तत्काल प्रेषित करावें । किसी भी स्थिति में राशि बैंक द्वारा नहीं रोकी जावे । अतः उक्तानुसार अपनी सहायक बैंको को राशि अन्तरण के समय निर्देश आपके स्तर से प्रेषित करें ।

    अपनी सहायक बैंकों से ग्राम पंचायतों के सही बैंक खातों में एवं त्रुटि की स्थिति में डी.डी./बैंकर्स चैक से राशि के अन्तरण की पुष्टि प्राप्त कर सम्पूर्ण राशि के अन्तरण की की पुष्टि विभाग को 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें ।
12. समस्त चीफ मैनेजर / ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रकिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा।
13. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार बैंक वार एफ.वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय परिसर को प्रेषित करने की तत्काल व्यवस्था करावे।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की रिपोर्ट सितम्बर, 2013 के दिशा निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये किया जावे तथा समस्त विकास अधिकारीगण इस बाबत अपने क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायतो को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर दें, यह सुनिश्चित भी करावे।
15. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त ।
16. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली पंचायत राज संस्थाओ के लिए निर्बन्ध कोष की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंच, ग्राम पंचायत को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की रिपोर्ट सितम्बर, 2013 के दिशा निर्देशों के अध्यधीन रहते हुऐ किया जावे।
17. प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता (प्रो.)

Districtwise Allotement of Untied Fund 2014-15 (1st Installment)

सारणी–स

2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198– ग्राम पंचायतों को सहायता

(आयोजना) (Amount in Rs.)

Sr. No.	NAME OF ZILA PARISHAD	Demand-41 (22) [02] - 12	Demand-30 (23) [02] - 12	Demand-51 (24) [02] - 12	Total
1	2	3	4	5	6
1	AJMER	56039079	15677802	21407672	93124553
2	ALWAR	86458108	24187997	33028145	143674250
3	BANSWARA	63839810	17860177	24387655	106087642
4	BARAN	41470065	11601894	15842116	68914075
5	BARMER	89287785	24979643	34109120	148376548
6	BHARATPUR	64375154	18009948	24592164	106977266
7	BHILWARA	70990481	19860688	27119306	117970475
8	BIKANER	75789460	21203277	28952580	125945317
9	BUNDI	39271330	10986764	15002170	65260264
10	CHITTORGARH	48831050	13661244	18654110	81146404
11	CHURU	56019959	15672453	21400368	93092780
12	DAUSA	50762113	14201489	19391801	84355403
13	DHOLPUR	34185559	9563940	13059337	56808836
14	DUNGARPUR	51450413	14394051	19654741	85499205
15	GANGANAGAR	57243603	16014786	21867817	95126206
16	HANUMANGARH	49767902	13923343	19012000	82703245
17	JAIPUR	101791899	28477863	38885857	169155619
18	JAISALMER	60532147	16934807	23124084	100591038
19	JALORE	54911032	15362213	20976743	91249988
20	JHALAWAR	43955593	12297259	16791620	73044472
21	JHUNJHUNU	50991546	14265676	19479448	84736670
22	JODHPUR	83398997	23332164	31859525	138590686
23	KOTA	36728444	10275352	14030753	61034549
24	NAGORE	84507925	23642403	32283150	140433478
25	PALI	63648616	17806688	24314617	105769921
26	RAJSAMAND	34931217	9772550	13344189	58047956
27	SAWAIMADHOPUR	39481644	11045602	15082512	65609758
28	KAROLI	45293953	12671686	17302892	75268531
29	SIKAR	60876297	17031089	23255554	101162940
30	SIROHI	38812463	10858389	14826876	64497728
31	TONK	43879115	12275863	16762405	72917383
32	UDAIPUR	98101847	27445514	37476208	163023569
33	PRATAPGARH	34319394	9601386	13110465	57031245
	TOTAL	**1911944000**	**534896000**	**730388000**	**3177228000**